फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

संख्या 37/2010 शीर्षक कन्हैयालाल बनाम सुदर्शन

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.

01/10/2024
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी संशोधित वाद शीर्षक पेश करने हेतु समय चाहते है। समय दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 5/11/2024 को पेश हो।

05/11/2024
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/11/2024 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

19/11/2024
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/11/2024 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

22/11/2024
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने संशोधित वाद शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दिनांक 24/11/2024 को पेश हो।

24/11/24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वादी बहस हेतु समय चाहते है। समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/01/25 को पेश हो।

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला

प्रकरण संख्या 37/2010 शीर्षक ......[illegible]...... बनाम ......[illegible]......

दिनांक	कार्यवाही विवरण
	17/01/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता बहस हेतु समय चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27/01/25 को पेश हो।
	27/01/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता बहस हेतु समय चाहते हैं। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी दिनांक को अनिवार्य रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम अवसर दिनांक 03/02/2025 को पेश हो।
	03/02/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/02/25 ...... को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)
	10/02/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/02/25 ...... को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)
	19/02/25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने फहरिस्तमय दस्तावेज पेश किये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/02/25 को पेश हो।

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 37/2010 शीर्षक कन्हैयालाल बनाम सुदर्शन

दिनांक	कार्याही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
28.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 अन्तर्गत सीपीसी पेश किया। प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने लिखित पेश की जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी ने पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 अन्तर्गत सीपीसी पर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया एवं मौखिक बहस हेतु निवेदन किया। मौखिक बहस सुनी गई। चूंकि राजस्व न्यायालयों की सीमित अधिकारिता के संबंध में यह स्पष्ट है कि वसीयत की वैधता और उत्तराधिकार के मामलों में निर्णय केवल सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जैसे की राजकुमार शर्मा बनाम मंजेश कुमार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, WP–11871–2021 में ग्वालियर पीठ ने स्पष्ट किया कि राजस्व अधिकारी वसीयत की वैधता का निर्धारण नहीं कर सकते। यदि वसीयत विवादित है तो उसका परीक्षण केवल सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। कुसुम बाई एवं अन्य बनाम उम्मेदी बाई मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , बद्री प्रसाद बनाम राजस्व बोर्ड, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, सैययद अब्दुल मजीद बनाम ज्वाइन्ट कलेक्टर आध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, डिप्टी कमिश्नर बनाम जावेद कर्नाटक उच्च न्यायालय से स्पष्ट है कि जब उत्तराधिकार के दावेदारों में विवाद हो, तो राजस्व अधिकारी उत्तराधिकारी का निर्धारण नहीं कर सकते। यह कार्य सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः यह घोषणात्मक वाद इस आशय से खारिज किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी वसीयत के तहत उत्तराधिकारी की घोषणा बाबत् सिविल न्यायालय की शरण ले। वसीयत के आधार पर घोषणा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हुई। सहायक कलक्टर देवगढ़,जिला-राजसमन्द	